

स्टेट क्राईम रिकार्ड्स ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

स्टेट क्राईम रिकार्ड्स ब्यूरो, का कार्यालय पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर के परिसर में स्थित है। इस कार्यालय की स्थापना राजस्थान पुलिस कम्प्यूटर सेन्टर के नाम से 2 फरवरी 1980 को हुई थी। दिनांक 16 अगस्त, 1986 को इस कार्यालय का नाम राजस्थान पुलिस कम्प्यूटर सेन्टर, से बदलकर स्टेट क्राईम रिकार्ड्स ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर कर दिया गया। इस भवन में फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो, कम्प्यूटर अनुभाग, सीपा अनुभाग एवं सीपा प्रशिक्षण केन्द्र के अतिरिक्त संस्थापन शाखा अनुभाग, जनरल अनुभाग, लेखा अनुभाग स्थित हैं स्टेट क्राईम रिकार्ड ब्यूरो के टेलिफोन नं 0141-2300597 तथा मेल आई.डी.scrbjpr-rj@nic.in है। फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो राजस्थान के टेलिफोन नम्बर 0141-2300641 तथा मेल आई.डी. email-dir-fpb-rj@nic.in है।

संस्थापन शाखा

स्टेट क्राईम रिकार्ड ब्यूरो निदेशक जो कि अति. महानिदेशक पुलिस स्तर के अधिकारी हैं, कार्यालय में वर्तमान में निम्नानुसार अधिकारी व कर्मचारी पदस्थापित हैं :—

क्र. सं.	पद नाम	वर्तमान नफरी	नाम अधिकारी	प्रभार	टेलिफोन नम्बर
1	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस	1	श्री एस.एन. जैन आईपीएस	विभाग अध्यक्ष	O- 0141-2302027 M 9413337771
2	पुलिस अधीक्षक	1	श्री शरत कविराज, आईपीएस	कार्यालय अध्यक्ष	O- 0141-2302805
3	उप अधीक्षक पुलिस	2	श्री उमेन्द्र सिंह, रघुवंशी, आरपीएस श्री मोहनलाल शर्मा, आरपीएस	नोडल अधिकारी / चीफ ड्यूटी ऑफिसर डीडीओ / प्रभारी सीसीटीएनएस / लेखा शाखा / कम्प्यूटर हॉल	O- 0141-2300151 0141-2300597 0141-2300641
4	पुलिस निरीक्षक	3	श्री अशवनी कुमार खत्री श्री महेश शर्मा श्री नानालाल सालवी	प्रभारी, प्रशिक्षण प्रभारी, सीसीटीएनएस एसीडीओ / प्रभारी, डी.ई. / स्टोर / एमटी स्टोर	
5	उप निरीक्षक पुलिस	13	श्री महावीर सिंह राठौड़ “ कमलेश वर्मा “ कमल नयन “ उसमानगनी “ विकास सोनी “ अशोक सैनी सुश्री नीतू चौहान श्रीमती निशा चांवरिया “ रोनिका राही श्री सीताराम देवन्दा “ जयसिंह “ राकेश मिश्रा “ राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	विभागीय जांच अनुभाग / सूचना का अधिकार सीआईआर / सीपा इम्प्लीमेंट पीएचक्यू अटैच सीपा प्रभारी, सीपा प्रशि. घाटगेट सीआईआर सीपा / सीसीटीएनएस सीपा प्रशि. घाटगेट सीपा नोडल अधिकारी, सहायक कार्यालय बिल्डिंग, रख रखाव सी.डी.ओ, सहायक एम.टी. स्टोर	
6	हैड कानि.	1	श्री भागचन्द	सीसीटीएनएस	
7	कानिस्टेबल	26	श्री भवानी सिंह कानि 0 28 श्री प्रेम कुमार नागर कानि.48	कार्यालय एसीडीओ ए.सी. / लाईट का कार्य / आवक जावक शाखा	

			<p>श्री शशी पारीक कानि० 32 श्री दुर्गप्रसाद कानि० 19 श्री रघुवीर सिंह कानि० 21 श्री विजय शर्मा कानि० 23 श्री भंवरलाल कानि० 31 श्री राजेन्द्रपाल सिंह कानि० 34 श्री जगदीश मीणा कानि० 10 श्री रामदयाल मीणा कानि० 36 श्री रमेश गुर्जर कानि० 42 श्री रघुवीर सिंह कानि० 35 श्री ओनाड़मल कानि० 29 श्री सीताराम कानि० 13 श्री कैलाशचन्द मीणा 20 श्री प्रहलादचन्द शर्मा कानि० 37 श्री मुरारीलाल कानि० 24 श्रीमती पोलीदत्ता कानि० 43 श्री घनश्याम टांक 15 श्रीमती प्रकाश यादव कानि० 12 श्रीमती कलावती कानि० 41 श्रीमती सविता चाहर कानि० 14 श्री नरेन्द्र किशोर कानि० झा. 40 श्री गंगासिंह कानि० झा. 44 श्री कन्हैयालाल कानि० झा. 17 श्री सोमेन्द्र सिंह कानि० 30</p>	<p>कार्यालय पु0अधीक्षक महो० पीएचक्यू अटैच कम्प्यूटर हॉल फोटो कॉपी कार्य मोटर व्हीकल / पोट्रेट डी.ई. अनुभाग सहायक स्टोर मोटर साईकिल राईडर कार्यालय डीडीओ कार्यालय उप अधी० महो० कार्यालय निदेशक महो० एडीजी होमगार्ड अटैच कार्यालय पु0अधीक्षक महो० कार्यालय पु0अधीक्षक महो० राईडर कम्प्यूटर हॉल / एमवीसीएस एम.टी. स्टोर टंकण कार्य कम्प्यूटर हॉल आवक / जावक शाखा ड्राईवर ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर</p>
8	प्रोग्रामर	1	श्री महेश कुमार गुप्ता	प्रोग्रामर
9	सिस्टम एनालिस्ट	—	—	—
10	सूचना सहायक	—	—	—
11	निजी सहायक	1	श्री कैलाशचन्द गुप्ता	पी.ए.
12	कनिष्ठ लेखाकार	1	श्री सत्यनारायण अग्रवाल	प्रभारी लेखा शाखा
13	वरिष्ठ लिपिक	2	श्री सोहनलाल शर्मा श्री रामजीलाल	सीसीटीएनएस प्रभारी बल शाखा
14	कनिष्ठ लिपिक	8	श्री सुभाषचन्द शर्मा श्री मिट्ठन लाल शर्मा श्रीमती अरुणा पारीक श्रीमती अनिता शर्मा श्री राकेश मीणा श्री निरंजन सिंह श्रीमती बबीता सैनी श्रीमती शारदा शर्मा	बिल कर्लेक एफपीबी गृह विभाग अटैच सहायक बल शाखा कैशियर प्रभारी जनरल स्टोर प्रभारी सामान्य शाखा प्रभारी आवक / जावक शाखा
15	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	7	श्री निरोती लाल “ शिवनाथ “ धर्मेन्द्र कुमार श्रीमती रामूकंवर श्री नरपतसिंह “ मोहम्मद रियाज खॉन “ पप्पूलाल	लेखा शाखा एफपीबी बल शाखा एफपीबी सीसीटीएनएस / सामान्य शाखा कम्प्यूटर हॉल कार्यालय का रख रखाव
	योग	66		

इसके अतिरिक्त किंगर प्रिन्ट ब्यूरो भी स्टेट क्राईम रिकार्ड ब्यूरो के अधीन कार्यरत है जिसमें निम्न स्टाफ उपलब्ध हैं :-

क्र. सं.	पद नाम	वर्तमान नकरी	नाम अधिकारी	प्रभार	टेलिफोन नम्बर
1.	उप अधीक्षक पुलिस	-	श्री मोहनलाल शर्मा	निदेशक	
2.	पुलिस निरीक्षक	3	श्री आलोक श्रीवास्तव “ मुकुट सिंह “ सीताराम शर्मा	सर्च/रिकार्ड/एफिस शाखा राय शाखा एस.डी. शाखा	
3.	उप निरीक्षक पुलिस	19	श्री इश्वर प्रसाद शर्मा “ मोहन सिंह “ नरेन्द्र सिंह “ सुरेशचन्द्र शर्मा “ गोपाल सिंह “ चक्रवर्ती सिंह भाटी “ राजेश शर्मा “ अभय पालरिया “ विनोद कुमार जाखड़ “ राजकुमार जैन “ रक्षित कोठारी “ विजय कुमार आर्य “ विकम सिंह “ विवेक सोनी “ रामकिशोर मीणा “ पारसमल खटीक “ प्रीतम कुमार खींची श्रीमती निर्मल कंवर श्री देवीलाल मीणा	सर्च/रिकार्ड शाखा राय शाखा सर्च/रिकार्ड शाखा राय शाखा जोधपुर शहर अटेच राय शाखा सीसीटीएनएस बीकानेर अटेच राय शाखा राय शाखा राय शाखा उदयपुर अटेच एफिस शाखा कोटा/बूंदी अटेच ऐफिस शाखा चित्तोडगढ़ अटेच टोक अटेच सिरोही अटेच झूंगरपुर अटेच	
4.	हैंड कानि.	6	श्री मूलचन्द बूटोलिया 11 “ गोविन्द नारायण 1 “ लखनलाल 2 “ नाथूलाल 3 “ जगदीश प्रसाद 4 “ प्रेमसिंह 5	सर्च/रिकार्ड शाखा सर्च/रिकार्ड शाखा सर्च/रिकार्ड शाखा राय शाखा (रिकार्ड कीपिंग) सर्च/रिकार्ड शाखा सर्च/रिकार्ड शाखा	
5.	कानिस्टेबल	12	श्री घनश्याम सिंह 45 “ सतीश कुमार जोशी 27 “ लक्ष्मीनारायण .9 “ राजेन्द्र कुमार 18 “ योगेशचन्द्र 39 “ जगदीश प्रसाद 22 “ बलबीर सिंह 26 “ हनुमान सिंह 25 “ भगवान सिंह 33 “ संजय शर्मा 16 “ मालीराम 47 “ जयराम मीणा 6	राय शाखा (रिस्पिट/डिस्पेच) डाक वितरण ऐफिस शाखा एस.डी. शाखा फोटो शाखा एस.डी. शाखा सर्च/रिकार्ड शाखा एस.डी. शाखा सर्च/रिकार्ड शाखा टंकण कार्य सर्च/रिकार्ड शाखा सर्च/रिकार्ड शाखा	
6.	वरिष्ठ फोटोग्राफर	2	श्री अनिल सिन्हा “ राजेन्द्र शर्मा	वरिष्ठ फोटो ग्राफर वरिष्ठ फोटो ग्राफर	
	योग	42			

संस्थापन अनुभाग में निम्नलिखित कर्मचारी पदस्थापित हैं:-

1. श्री रामजीलाल	व0लि0
2. श्रीमती अनिता शर्मा	क0लि0
3. श्री धर्मेन्द्र शर्मा	च0श्रे0 कर्मचारी

संस्थापन शाखा के रजिस्टर:-

1. सेवा पुस्तिकाओं का स्टाक रजिस्टर :-

यह पंजिका सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अन्तर्गत जी.ए. 201 पर संधारित की जा रही है।

2. सेवा पुस्तिकाओं का संधारण :-

इस कार्यालय में कानि. से उप अधीक्षक पुलिस स्तर तक की एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से निजी सहायक तक के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाएँ संधारित की जाती हैं।

3. अनुभाग में संधारित पंजिकाएँ :-

- (क) आकस्मिक अवकाश रजिस्टर
- (ख) वेतन वृद्धि रजिस्टर
- (ग) पत्र प्राप्ति रजिस्टर
- (घ) नोमीनल रजिस्टर
- (च) स्वीकृत पदों का रजिस्टर
- (छ) पत्रावली रजिस्टर
- (ज) सेवानिवृति रजिस्टर

ये समस्त रजिस्टर अनुभाग में निर्धारित पेशानी बनाई जाकर संधारित किये जा रहे हैं।

2. जनरल / विविध अनुभाग

1. पदस्थापन का विवरण :-

जनरल अनुभाग में निम्नलिखित कर्मचारी पदस्थापित हैं:-

❖ बबीता सैनी कनिष्ठ लिपिक

जनरल अनुभाग के मुख्य कार्य :-

इस अनुभाग में वर्तमान में निम्नलिखित शीर्षकों/विषयों से संबंधित पत्रावलियां/ पंजिकाएँ संधारित की जा रही हैं:-

(क) पत्रावली रजिस्टर :-

यह रजिस्टर सादा कागजों में निर्धारित पेशानी बनाई जाकर वर्ष 1996 से पृथक—पृथक शीर्षकानुसार संधारित किया जा रहा है।

(ख) निरीक्षण पत्रावली :-

यह पत्रावली पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार संधारित की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जो नीति निर्देश प्राप्त होते हैं उनकी समय—समय पर पालना किए जाने का विवरण इस पत्रावली में अंकित है।

(ग) भवन पंजिका :-

इस अनुभाग में भवन का रजिस्टर संधारित किया जा रहा है। एस.सी.आर.बी. को आवंटित फेमिली क्वार्टर्स का संधारण किया जा रहा है।

(घ) सरकारी आवास पत्रावली :-

अनुभाग में सरकारी आवास आवंटित करने संबंधी पत्रावली संधारित है जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित करने, स्थानान्तरण हो जाने पर उनसे क्वार्टर खाली करवाने आदि का विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्वार्टरों में बिजली, पानी, क्वार्टर्स की साफ सफाई आदि समस्याओं से संबंधित पृथक—पृथक पत्रावली संधारित की जा रही है।

(च) पुलिस वेलफेयर पत्रावली :-

यह पत्रावली पुलिस मुख्यालय से प्राप्त नीति निर्देशानुसार संधारित की जा रही है। इसमें राजस्थान पुलिस बेनेवेलेन्ट फण्ड/राजस्थान पुलिस कार्मिक कल्याण न्यास से अधिकारी/कर्मचारी का स्वर्गवास होने पर उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दिए जाने एवं उनके पुत्र पुत्रियों को छात्रवृत्ति आदि की कार्यवाही को दर्शाया जाता है।

(छ) मीटिंग एवं कान्फ्रेंस पत्रावली :-

यह पत्रावली इस अनुभाग में संधारित की जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण परिपत्र एवं सामान्य पत्रावली जो मीटिंग एवं कान्फ्रेंस से संबंधित है, अलग—अलग संधारित की जा रही है जिसमें पुलिस अधिकारियों की मीटिंग आदि की कार्यवाही को दर्शाया जाता है।

(ज) प्रशिक्षण की पत्रावली एवं रजिस्टर :-

अनुभाग में विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटर प्रशिक्षण से संबंधित पत्रावली संधारित की जा रही है। इसके अन्तर्गत नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली में आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों में भिजवाए गए अधिकारियों का विवरण है। अनुभाग में प्रशिक्षण संबंधी रजिस्टर भी संधारित किया जा रहा है जिसमें प्रशिक्षित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण अंकित है।

(झ) परिचय पत्र पंजिका :-

इस अनुभाग में इस पंजिका का संधारण किया जा रहा है। जिसमें कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को परिचय पत्र जारी किए जाने का विवरण एवं प्रत्येक की फोटो चस्पा की जाती है।

(ट) लोकसभा/विधानसभा चुनाव पत्रावली :-

राज्य में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव संबंधी पृथक—पृथक पत्रावलियां संधारित की हुई हैं जिसमें चुनावों में कानून एवं व्यवस्था के संबंध में पुलिस मुख्यालय से प्राप्त नीति निर्देशानुसार पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटीयों लगाए जाने संबंधी कार्यवाही का उल्लेख है।

(ठ) सी.एम.ओ. की मासिक सूचना संबंधी पत्रावली :- इस अनुभाग में इस पत्रावली का संधारण किया जा रहा है। जिसमें कार्यालय की उपलब्धियों की मासिक सूचना भिजवाये जाने संबंधी कार्यवाही का उल्लेख है।

(ड) रेंज स्तरीय व अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट संबंधी पत्रावली – अनुभाग में यह पत्रावली संधारित की जाती है।

3. विभागीय जांच अनुभाग/सूचना का अधिकार अनुभाग:-

1. प्रभारी श्री नानालाल सालवी, पुलिस निरीक्षक
2. सहायक प्रभारी श्री महावीर सिंह उप निरीक्षक
3. सहायक श्री राजेन्द्रपाल सिंह कानौ 34

विभागीय जांच, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बन्धित परिवाद तथा न्यायालय प्रकरणों के रिकार्ड का रख—रखाव किया जाता है।

4.आवक एवं जावक अनुभाग :-

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. प्रभारी श्रीमती शारदा शर्मा | क0लि0 |
| 2. डाक वितरण श्री मुरारी लाल | कानि0 24 |
| 3. श्रीमती सविता चाहर | म0 कानि0 14 |

इस अनुभाग में कार्यालय के आवक –जावक सभी पत्रों का निर्धारित रजिस्ट्ररों में इन्द्राज किया जाता है।

पोस्टल स्टाम्प रजिस्टर :-

इस रजिस्टर में पोस्टल स्टाम्प का समस्त विवरण (प्राप्त, खर्च एवं शेष) संधारित किया जाता है।

5. लेखा अनुभाग :-

(1) कर्मचारियों के पदस्थापन का विवरण :-

- | | |
|--|--|
| ❖ आहरण एवं वितरण अधिकारी
श्री मोहन लाल शर्मा | उपाधीक्षक पुलिस |
| ❖ कनिष्ठ लेखाकार
श्री सत्यनारायण अग्रवाल | कनिष्ठ लेखाकार |
| ❖ रोकड़िया
श्री राकेश मीणा | कनिष्ठ लिपिक |
| ❖ बिल लिपिक
श्री सुभाषचन्द शर्मा
श्री निरोती लाल | कनिष्ठ लिपिक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी |

(2) अनुभाग की पंजिकाएँ

लेखा शाखा स्टेट क्राईम रिकार्ड ब्यूरो, द्वारा निम्नलिखित पंजिकाएँ संधारित की जा रही हैं:-

1. रोकड़ पुस्तिका
2. बिल रजिस्टर
3. यात्रा भत्ता बिल रजिस्टर
4. चिकित्सा भत्ता बिल रजिस्टर
5. यात्रा भत्ता अग्रिम रजिस्टर
6. वेतन ब्यूरो पंजिका
7. एनकेशमन्ट रजिस्टर
8. बिल पारगमन रजिस्टर
9. डी.डी. रजिस्टर
10. बजट रजिस्टर

(3) सेवा निवृत्ति प्रकरण

(4) जी.पी.एफ. एवं बीमा के प्रकरण

6. स्टोर अनुभाग :-

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. प्रभारी श्री निरंजन सिंह | क0लि0 |
| 2. सहायक श्री जगदीश मीण | कानि0 10 |

अनुभाग में संधारित की जाने वाली पंजिकाएँ :-

- स्थाई सामान पंजिका** :— उक्त पंजिका निर्धारित प्रोफार्मा जी.ए. 162 पर संधारित किया जा रहा है।
- लेखन सामग्री पंजिका** :— यह पंजिका निर्धारित रजिस्टर जी.ए. 161 पर संधारित की जा रही है। सामग्री इश्यू रजिस्टर में इश्यू की जाकर इसमें खतौनी की जाती है।
- कम्प्यूटर स्थाई/सामग्री पंजिका** :— यह पंजिका निर्धारित रजिस्टर जी.ए. 162 पर संधारित की जा रही है।
- अनुभाग में संधारित की जाने वाली पंजिकाएँ** :— 1 कम्प्यूटर स्टेशनरी सामान्य एल्फा बेटिक लेजर रजिस्टर में संधारित की जा रही है।
- पुस्तक क्राईम इन राजस्थान—आई.ओ. गाइड अचेषण अधिकारियों के लिए मार्ग दर्शिका** हेतु एल्फा बेटिक लेजर रजिस्टर में की जा रही है।
- फोटोग्राफी/एफ.पी.बी. सामग्री पंजिका** :— यह पंजिका एल्फाबेटिक लेजर में संधारित की जा रही है। जो सामान फोटोग्राफी/एफ.पी.बी. से संबंधित कार्यालय में आता है उसको इश्यू किया जाकर हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये जाते हैं।
- एन.सी.आर.बी./सीसीटीएनएस से प्राप्त सामग्री पंजिका** :— यह पंजिका भी जी.ए. 162 पर संधारित की हुई है। जिसमें एन.सी.आर.बी. से प्राप्त सामान का इन्द्राज किया हुआ है।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी पंजिका** :— यह पंजिका सादा कागज में छोटे रजिस्टर में संधारित की जा रही है।
- जी.ए. फार्मस/रजिस्टर पंजिका** :— यह पंजिका जी.ए. 161 पर संधारित की जा रही है।
- नल/बिजली सामग्री पंजिका** :— यह पंजिका भी एल्फाबेटिक लेजर रजिस्टर में संधारित की जा रही है।
- विविध सामग्री पंजिका** :— यह पंजिका भी एल्फाबेटिक लेजर रजिस्टर में संधारित की हुई है।
- अखबार बिल पंजिका** :— अधिकारियों से प्राप्त अखबारों के बिलों का इसमें इन्द्राज किया जाता है।
- फाईल/पत्रावली पंजिका** :— इसमें समस्त फाईलों की क्रमवार अनुक्रमणिका संधारित है।
- बिल पंजिका** :— इस बिल पंजिका में समस्त बिलों का इन्द्राज किया जाता है।
- खेल सामग्री पंजिका** :— यह पंजिका जी.ए. 162 पर संधारित की जा रही है। ये पंजिका 20.07.81 से आरम्भ की गई है।
- 16. नाकारा/अनुपयोगी/सरप्लस सामान का निस्तारण** :— इस रजिस्टर में नाकारा/अनुपयोगी/सरप्लस सामान के निस्तारण संबंधी समस्त विवरणों का संधारण किया जाता है।

7. वर्दी/एम.टी. अनुभाग :

- प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उप निरीक्षक
- सहायक श्री घनश्याम टांक कानि० 15

जो वर्दी भण्डार के संधारण का कार्य भी करते हैं। इस अनुभाग में कार्यालय हाजा में समस्त सरकारी वाहनों की देखरेख, डीजल/पेट्रोल का व्यय व लॉगबुक का संधारण किया जाता है। शाखा में कार्यरत ड्राइवरों के नाम ।

- श्री नरेन्द्र किशोर कानि० 40
- “ गंगासिंह कानि० 44
- “ सोमेन्द्र सिंह कानि० 30

कार्यालय के सरकारी वाहनों का विवरण:-

1. सिप्ट डिजायर	आरजे.14	सीएम	0208	अति0 महानिदेशक पुलिस
2. जीप्सी	आरजे.14	6 सी	5383	निदेशक, एससीआरबी
3. क्वालिस	आरजे.14	6 सी	9957	निदेशक, एससीआरबी
4. एम्बेसडर	आरजे.14	सी.ई.	7891	पुलिस अधीक्षक, एससीआरबी
5. बोलेरो	आरजे.14	यूबी	2064	निदेशक, एफपीबी
6. मोटर साईकिल टीवीएस	आरजे.14	36एम	5286	
7. मोटर साईकिल टीवीएस	आरजे.14	32एम	5852	
8. मोटर साईकिल सीबीजैड	आरजे.14	8एच	8613	

वर्दी भण्डार / एम.टी.स्टोर अनुभाग में निम्न पंजिकाओं में रिकार्ड संधारित किया जाकर कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

1. वर्दी स्टोक रजिस्टर
2. वर्दी वितरण रजिस्टर
3. वर्दी खाता रजिस्टर
4. लोहा बक्सा व चारपाई रजिस्टर
5. डीजल / पेट्रोल रजिस्टर
6. टायर, ट्यूब व बैट्री रजिस्टर
7. बिल रजिस्टर

- (1) वर्दी स्टोक / वर्दी वितरण रजिस्टर / वर्दी खाता रजिस्टर निर्धारित प्रोफार्मा आर.पी. 35 पर संधारित है।
- (2) लोहा बक्सा, चारपाई / डीजल व पैट्रोल रजिस्टर, टायर, ट्यूब व बैट्री रजिस्टर, बिल रजिस्टर सादा कागज के रजिस्टर में संधारित की जा रही है।

8. सीपा अनुभाग (Common Integrated Police Application)

सीपा अनुभाग में निम्नलिखित मंत्रालयिक कर्मचारी पदस्थापित हैं:-

- | | |
|------------------|------------------|
| ❖ श्री सोहन लाल | वरिष्ठ लिपिक |
| ❖ श्री नरपत सिंह | च0श्रे0 कर्मचारी |

इस अनुभाग में निम्नलिखित अधिकारी व कर्मचारी पदस्थापित हैं।

1. श्री महेश शर्मा	पुलिस निरीक्षक	सीपा क्रियान्वयन / प्रशिक्षण / सीसीटीएनएस
2. श्री अश्वनी खत्री	पुलिस निरीक्षक	सीपा / सीसीटीएनएस प्रशिक्षण
3. श्री विकास सोनी	उप निरीक्षक	सीपा प्रशिक्षण
4. श्री अभय पालरिया	उप निरीक्षक	सीपा डवलपमेन्ट / प्रशिक्षण / सीसीटीएनएस
5. सुश्री नीतू चौहान	उप निरीक्षक	सीपा डवलपमेन्ट / प्रशिक्षण / सीसीटीएनएस
6. श्रीमती राणिका राही	उप निरीक्षक	सीपा प्रशिक्षण / सीसीटीएनएस
7. श्रीमती निशा चांवरिया	उप निरीक्षक	सीपा प्रशिक्षण
8. श्री ओमप्रकाश	मुख्य आरक्षक	सीपा / सीसीटीएनएस प्रशिक्षण
9. श्री भाग चन्द	मुख्य आरक्षक	सीपा / सीसीटीएनएस प्रशिक्षण

सीपा क्रियान्वयन :-

गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुलिस थानों के कम्प्यूटराईजेशन हेतु वर्ष 2006 में सीपा प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया गया जिसमें सीपा सॉफ्टवेयर व पुलिस थानों पर कम्प्यूटर हार्डवेयर एनआईसी, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करवाया गया। राजस्थान के पुलिस थानों को सीपा के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत करने की योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य के चार जिलों जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा के 103 पुलिस थानों को मार्च 2006 में तथा द्वितीय चरण के अन्तर्गत राज्य के 11 पुलिस जिलों जयपुर शहर पूर्व, जयपुर शहर उत्तर, जयपुर शहर दक्षिण, कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर एवं गंगानगर के 217 पुलिस थानों पर जून 2007 में क्रियान्वित किया गया है। सीपा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चयनित उक्त सभी 15 जिलों के 320 पुलिस थानों में कम्प्यूटर जनित प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट/अन्तिम रिपोर्ट जारी की जा रही है, एवं अनुसंधान सम्बन्धी अन्य समस्त चरण कम्प्यूटर द्वारा ही संधारित किया जा रहा है।

वर्ष 2009 में सीपा प्रोजेक्ट के तृतीय चरण के अन्तर्गत 13 जिलों झालावाड़, बारां, टोंक, बून्दी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर, सीकर, चूरू, बाड़मेर एवं जालौर के 231 पुलिस थानों एवं सीपा प्रोजेक्ट के प्रथम एवं द्वितीय चरण के जिलों में नव सृजित 15 पुलिस थानों पर कुल 246 थानों पर कम्प्यूटर हार्डवेयर स्थापित कर मार्च 2009 से कम्प्यूटर जनित प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट/अन्तिम रिपोर्ट जारी करने के निर्देश दिये गये। शेष 12 पुलिस जिलों के पुलिस थानों का कम्प्यूटराईजेशन सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर लिया गया है। सीपा प्रोजेक्ट के प्रथम एवं द्वितीय चरण के 15 पुलिस जिलों के 320 पुलिस थानों पर उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर हार्डवेयर/उपकरण की वारणी समाप्त हो चुकी है।

सीपा प्रशिक्षण

पुलिस दूरसंचार घाटगेट प्रशिक्षण परिसर में थानाधिकारियों, अन्वेषण अधिकारियों, पुलिस कर्मियों तथा जिला रिसोर्स पर्सन्स के लिए सीपा सॉफ्टवेयर संचालन के विभिन्न प्रशिक्षण निरन्तर आयोजित किये जा रहे हैं।

सीपा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अब तक चयनित 28 जिलों के विभिन्न पुलिस थानों में पदस्थापित 4934 पुलिस अधिकारियों/पुलिस कर्मियों को अब तक सीपा सॉफ्टवेयर में डेटा एन्ट्री व कम्प्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान का प्रशिक्षण दिया गया।

सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट (Crime and Criminal Tracking Network and Systems) :-

भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नेशनल ई-गर्वनेंस (NeGP) में Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS) प्रोजेक्ट को गृहमंत्रालय का मिशन मोड प्रोजेक्ट बनाया है। सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट के द्वारा व्यापक स्तर पर पुलिस कार्यप्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किया जाकर राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर अपराध एवं अपराधियों से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान-प्रदान सुगम हो सकेगा, बार-बार दोहराये जाने वाले कार्यों से बचाव होगा एवं अनुसंधान कार्य, यातायात प्रबन्ध व निरोधात्मक कार्यवाहियों में प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया जा सकेगा। जिससे पुलिस कार्यप्रणाली में कार्यकुशलता, कार्यक्षमता तथा पारदर्शिता में वृद्धि हो सकेगी।

सी.सी.टी.एन.एस. का क्रियान्वयन NeGP के सिद्धान्त “केन्द्रीयकृत योजना एवं वि-केन्द्रीयकृत क्रियान्वयन” के प्रक्रियानुसार किया जाना है। इसमें केन्द्र की भूमिका प्रारम्भिक रूप से योजना बनाने, एप्लीकेशन साप्टवेयर उपलब्ध कराने, उच्च स्तर पर प्रबन्धन करने व इससे

सम्बन्धित गतिविधियों का निरीक्षण तक दृष्टिगत रहेगा। राज्य सरकार राज्य स्तर पर क्रियान्वयन सम्पादित करेगी और पूर्ण क्रियान्वयन के पश्चात् उसे जारी रखेगी।

1. क्राईम क्रिमीनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (CCTNS) प्रोजेक्ट के लिए मेमोरांडम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग (MoU) राज्य सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित कर दिया है।
2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार सी.सी.टी.एन.एस. के संचालन के लिए विभिन्न समितियों (स्टेट अपेक्ष्य कमेटी, स्टेट एम्पावर्ड कमेटी, स्टेट मिशन टीम व डिस्ट्रिक मिशन टीम) का गठन किया जाकर गृह मंत्रालय, भारत सरकार/एन.सी.आर.बी. को सूचना प्रेषित कर दी गई है व उपरोक्त कमेटियों की नियमित बैठक आयोजित की जा रही है।
3. सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग वर्ष 2009–10 के प्रत्येक पुलिस जिले में कुल 41 जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र व एससीआरबी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण कक्ष तैयार करवा कर मई 2010 से कानि. व हैड कानि. स्तर के पुलिसकर्मियों को ICT Basics का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया है। आर.पी.टी.सी. जोधपुर, पी.टी.एस. किशनगढ़, पी.टी.एस. जोधपुर, व एस.सी.आर.बी., जयपुर में सहायक उप निरीक्षक व उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का व राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को "ICT Basics" का प्रशिक्षण दिनांक 5/04/10 से दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में सात पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण लैब स्थापित कर ली गई है। 15 जिलों में जहां पुलिसकर्मियों की संख्या 1000 से अधिक है, उन जिलों के लिए Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) से "ICT Basics" प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अनुबन्ध किया गया था। RKCL के District Lead Centers "DLC" द्वारा 2620 कानि./हैड कानि. को "ICT Basics" का प्रशिक्षण दिया गया है।
4. सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के सुचारू क्रियान्वयन हेतु स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट (SPMC) के लिए National Institute of Smart Government (NISG) को भारत सरकार के ई-गर्वनेंस प्रोजेक्ट्स में कन्सलटेन्सी का व्यापक अनुभव को देखते हुए सी.सी.टी.एन.एस. एम्पावर्ड कमेटी ने National Institute of Smart Government (NISG) को नामांकन के आधार पर SPMC के लिए नियुक्त किया गया है। NISG द्वारा राज्य की PIM/DPR रिपोर्ट तैयार की गयी, जिसके आधार पर राज्य को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राशि ' 5736.56 लाख आवंटित की गयी। सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राज्य द्वारा "स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट" (SPMC) द्वारा सिस्टम इन्टीग्रेटर के चयन हेतु तैयार Request for Proposal (RFP) दिनांक 01.06.11 को जारी कर दी गयी है। सिस्टम इन्टीग्रेटर के चयन हेतु तैयार Request for Proposal (RFP) में सीपा प्रोजेक्ट क्रियान्वित जिलों को सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। सभी 41 जिलों के 206 प्रशिक्षकों को "Training of Trainer" के प्रथम व द्वितीय मोड़्यूल के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है।

5. जिला प्रशिक्षण केन्द्र व पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये प्रशिक्षण की गुणवत्ता की जांच के लिए Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) से "ICT Basics" प्रशिक्षण का ऑनलाइन टैस्ट हेतु अनुबंध किया गया। Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) द्वारा 5269 पुलिस कर्मियों का ऑनलाइन टैस्ट लिया गया जिनमें से 5213 पुलिस कर्मी उत्तीर्ण हुए।

9. कम्प्यूटर अनुभाग

इस अनुभाग में निम्नलिखित अधिकारी व कर्मचारी पदस्थापित हैं।

नाम अधिकारी/कर्मचारी	प्रभार
1. श्री कमलेश वर्मा उ.नि.	सीआईआर/बीपीआर एण्ड डी एआईपीडीएम (राज्य स्तरीय पुलिस ड्यूटी मीट) ई-मेल
2. श्री अशोक सैनी उ.नि.	सीआईआर
3. श्री रघुवीर सिंह कानिं. 21	सी.सी.आई.एस./हिन्दी/अंग्रेजी टाईप/ई-मेल
4. श्री भंवर लाल कानिं. 31	मोटर व्हीकल सिस्टम एवं पे-रोल
5. श्रीमती कलावती म.कानिं. 41	तलास/हिन्दी/अंग्रेजी टाईप
6. श्रीमती पोली दत्ता म.कानि. 43	सी.सी.आई.एस./तलास/मोटर व्हीकल/आरक्षी/डी.सी.आर./पोट्रेटबिल्डिंग सिस्टम, पत्रावली कार्य

एन.सी.आर.बी. द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटरों पर एस.सी.आर.बी. राजस्थान, जयपुर द्वारा निम्न सिस्टम चलाये जा रहे हैं।

- सी.सी.आई.एस. (अपराधी सूचना प्रणाली)
 - मोटर व्हीकल कोर्डिनेशन सिस्टम
 - पोट्रेट बिल्डिंग सिस्टम
 - तलास सिस्टम
 - क्राईम इन राजस्थान पुस्तक का प्रकाशन प्रतिवर्ष।
 - बी0पी0आर0 एण्ड डी0
 - ई-मेल
- क्राईम क्रिमिनल इन्फोर्मेशन सिस्टम (CCIS)** :— एन0सी0आर0बी0, नई दिल्ली द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर में राज्य के 40 जिला (डीसीआरबी) में अपराध सम्बन्धी सूचना दर्ज की जाती थी तथा डीसीआरबी से प्राप्त रिकॉर्ड को एससीआरबी के सरवर पर रखा जाता था सर्वर पर वर्तमान में 20,47,859 रिकॉर्ड्स उपलब्ध है। वर्तमान में सी0सी0टी0एन0एस0 प्रोजेक्ट पर कार्य प्रगति पर है, इस सॉफ्टवेयर में भी इन सूचनाओं का समावेश रहेगा। नवीन परिस्थितियों के अनुसार सी0सी0टी0एन0एस0 प्रोजेक्ट का क्रियांवयन परिणाम जनक होगा।
- मोटर व्हीकल कोर्डिनेशन सिस्टम (MVCS)** :— एन0सी0आर0बी0, नई दिल्ली द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर में राज्य में वाहन चोरी/जब्ती की सूचना दर्ज की जाती है एवं मिलान कर संबंधित थाने व जिले को सूचित किया जाता है। दर्ज रिकॉर्ड्स एन0सी0आर0बी0, नई दिल्ली को ई-मेल द्वारा प्रेषित की जाती है। इसे आम नागरिक एवं पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा NCRB, New Delhi के वेब साईट <http://ncrb.nic.in> पर देखा जा सकता है। यातायात विभाग में वाहनों की सूचना के कम्प्यूटराइजेशन के सम्बंध में परिवहन विभाग की वेबसाईट transport.rajasthan.gov.in पर डाटा देखने के लिए समस्त जिला पुलिस

अधीक्षको के 45 कार्यालयों हेतु यातायात विभाग को login ID & Password की कार्यवाही की जा रही है।

3. **पोट्रेट बिल्डिंग सिस्टम (PBS) :-** एन०सी०आर०बी०, नई दिल्ली द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत मुस्तगीस के बताये अनुसार कम्प्यूटर द्वारा अपराधी का सम्भावित चित्र तैयार कर जांच अधिकारी को सहायता हेतु उपलब्ध कराया जाता है। एन०सी०आर०बी०, नई दिल्ली ने उन्नत वर्जन का रंगीन प्रोट्रेट बिल्डिंग सिस्टम वर्ष अप्रैल 2011 में उपलब्ध करा दिया गया है। सभी जिलों को पोट्रेट बिल्डिंग सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब जिला स्तर पर ही पोट्रेट तैयार कर अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध कराया जा सकेगा।
4. **तलाश सिस्टम:-** एन०सी०आर०बी०, नई दिल्ली द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर में राज्य में गुमशुदा व्यक्ति, वांछित अपराधी, गिरफ्तार व्यक्ति, अपहृत व्यक्ति, भगोड़े, एवं अज्ञात मृतक शव की सूचना दर्ज की जाती है दर्ज रिकॉर्ड्स एन०सी०आर०बी०, नई दिल्ली को ई-मेल द्वारा प्रेषित की जाती है जोकि एन०सी०आर०बी०, नई दिल्ली के वेब साईट <http://ncrb.nic.in> पर उपलब्ध रहती है। तलाश सिस्टम के अन्तर्गत सूचना को राजस्थान पुलिस वेबसाईट पर लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है।
5. **क्राईम इन राजस्थान :-** राजस्थान राज्य में घटित समस्त अपराधों का वर्गीकरण व विश्लेषण के पश्चात् राज्य स्तरीय पुस्तक का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जाता है।
2. **बी०पी०आर० एण्ड डी० :-** पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रति वर्ष भारत में पुलिस संगठन से सम्बन्धित सूचनाएं विभिन्न यूनिटों व जिलों से संकलित कर बी०पी०आर० एण्ड डी० में प्रेषित की जाती है।
6. **ई-मेल :-** प्रति दिन इस कार्यालय को प्राप्त होने वाले ई-मेल पत्रों का प्रिंट ऑफ्ट निकाला जाता है एवं इस कार्यालय से अन्य कार्यालयों को पत्र व सूचनाएं ई-मेल कर प्रेषित की जाती है।

इस प्रकार उक्त सभी कार्यों के लिये दो कानिस्टेबल बतौर ऑपरेटर कार्यरत हैं जिनके प्रभारी पुलिस निरीक्षक एवं दो उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी हैं।

राज्य अंगुल चिन्ह संग्रहालय, राजस्थान, जयपुर

1. संक्षिप्त इतिहास :-

तत्कालीन राजपूताना स्टेट्स एवं मध्य भारत की फिंगर प्रिन्ट स्लिप्स का संग्रहण माउन्ट आबू स्थित राजपूताना एवं जनरल इंडिया फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो में किया जाता था। सन् 1931 में इस ब्यूरो को अजमेर में स्थानान्तरित कर दिया गया। सन् 1996 में राजस्थान राज्य के गठन उपरान्त इस ब्यूरो को अजमेर से जयपुर में स्थानान्तरित कर इसे राजस्थान राज्य फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो का नाम दिया गया। तब से यह ब्यूरो जयपुर में निरन्तर कार्यरत है। वर्तमान में फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो, स्टेट क्राईम रिकार्ड ब्यूरो में कार्यरत है।

2. प्रभारी अधिकारी का नाम श्री मोहनलाल शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस निदेशक

3. फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो के निम्न अनुभाग हैं :-

1. रिकार्ड एवं सर्च अनुभाग
प्रभारी अधिकारी/सहायक अधिकारी/कर्मचारियों के नाम
 1. श्री आलोक श्रीवास्तव, पुलिस निरीक्षक
 2. " ईश्वर प्रसाद शर्मा, उप निरीक्षक
 3. " नरेन्द्र सिंह "
 4. " महेन्द्र सिंह कुमावत "

5. " गोविन्द नारायण मुख्य आरक्षी नं० 1
6. " लखनलाल मुख्य आरक्षी नं० 2
7. " जगदीश प्रसाद मुख्य आरक्षी नं० 4
8. " प्रेमसिंह मुख्य आरक्षी नं० 5
9. " जयराम मीणा कानि० 6
10. " बलबीर सिंह कानि० 26
11. " भगवान सिंह कानि० 33

2. ऐफिस अनुभागः—

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. श्री आलोक श्रीवास्तव | पुलिस निरीक्षक |
| 2. " विक्रम सिंह चारण | उप निरीक्षक |
| 3. " रामकिशोर मीणा | " " |
| 4. " जगदीश प्रसाद | मुख्य आरक्षी नं० 4 |
| 5. " लक्ष्मीनारायण मीणा | कानि० 9 |
| 6. " मालीराम | कानि० 47 |

3. ओपिनियन अनुभागः—

प्रभारी अधिकारी / सहायक अधिकारी / कर्मचारियों के नाम

1. श्री मुकुट सिंह पुलिस निरीक्षक
2. " मोहन सिंह, उप निरीक्षक
3. " राजेश शर्मा, उप निरीक्षक
4. " गोपाल सिंह, उप निरीक्षक
5. " सुरेशचन्द शर्मा, उप निरीक्षक
6. " रक्षित कोठारी, उप निरीक्षक
7. " राजकुमार जैन, उप निरीक्षक
8. " नाथूलाल, मुख्य आरक्षक 3
9. " घनश्याम सिंह, कानि० 45

4. एकल अंगुल चिन्ह अनुभाग

प्रभारी अधिकारी / सहायक अधिकारी / कर्मचारियों के नाम

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. श्री सीताराम शर्मा | पुलिस निरीक्षक |
| 2. " राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, कानि० 18 | फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट |
| 3. " जगदीश प्रसाद | कानि० 22 |
| 4. " हनुमान सिंह | कानि० 25 |
| 5. " रामनारायण बूटोलिया | कानि० 46 |

5. फोटो अनुभागः—

प्रभारी अधिकारी / सहायक अधिकारी / कर्मचारियों के नाम

1. श्री राजेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ फोटोग्राफर
2. " अनिल सिन्हा, वरिष्ठ फोटोग्राफर
3. " योगेशचन्द शर्मा, कानि० 39

6. जनरल अनुभागः—

प्रभारी अधिकारी / सहायक अधिकारी / कर्मचारियों के नाम

1. श्री मिठून लाल शर्मा, क०लि०
2. " सतीश जोशी , कानि० 27
3. " संजय शर्मा , कानि० 16
4. " शिवनाथ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
5. श्रीमती रामू कंवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. रिकार्ड एवं सर्च अनुभाग कार्य विवरण :-

सजायाबी के बाद अपराधियों की फिंगर प्रिन्ट रिकार्ड पर्णियां विभिन्न जिला ए.पी.पी. कार्यालयों द्वारा तैयार कर फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो में भेजी जाती हैं। इन पर्णियों का इन्द्राज संबंधित जिलों के रिकार्ड रजिस्टर में किया जाता है। रिकार्ड पर्णियों को विशेषज्ञों को वर्गीकरण के लिये दी जाती है विशेषज्ञ प्रत्येक स्लिप की छंटनी करने के पश्चात उसका वर्गीकरण करते हैं। प्रत्येक स्लिप को आर.सी. नम्बर दिया जाता है। प्रत्येक पर्णी की दूसरे विशेषज्ञ द्वारा टेस्टिंग की जाती है। तत्पश्चात वर्गीकरण के अनुसार प्रत्येक पर्णी स्थायी रिकार्ड पर रख दी जाती है। यदि किसी अपराधी की रिकार्ड स्लिप रिकार्ड पर पूर्व से ही मौजूद हो तो उस पर्णी पर अपराधी की नई सजायाबी का इन्द्राज किया जाता है तथा नई पर्णी को डुप्लीकेट लिखकर पृथक से फाईल कर दिया जाता है।

प्रत्येक नई पर्णी की डुप्लीकेट प्रति केन्द्रीय फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो, नेशनल काईम रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली को रिकार्ड हेतु भेजी जाती है। यदि अपराधी अन्य राज्य का निवासी हो तो रिकार्ड स्लिप की एक प्रति उस राज्य के ब्यूरो में भेजी जाती है। वर्गीकरण के बारे में ए.पी.पी. को सूचित किया जाता है। दिनांक 01.01.2010 से 31.07.2011 तक फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो में प्राप्त होने वाली रिकार्ड पर्णियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

रिकार्ड पर्णियां
प्राप्त हुई

रिकार्ड पर्णियां
स्वीकार की गई

रिकार्ड पर्णियां अस्वीकृत
की वापस भेजी गई

934

899

35

सर्च अनुभाग का कार्य विवरण :-

पुलिस थानों द्वारा अज्ञात / संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश पर्णी तैयार कर उनकी पूर्व की सजायाबी ज्ञात करने हेतु फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो में भेजी जाती है। फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो में प्रत्येक पर्णी की छंटनी कर, वर्गीकरण कर स्थाई रिकार्ड पर सर्च की जाती है। तलाश के बाद नतीजे के साथ प्रत्येक तलाश पर्णी को संबंधित पुलिस थानों में वापस भेजी जाती है। फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो में दिनांक 01.01.2010 से 31.07.2011 तक प्राप्त होने वाली तलाश पर्णियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

तलाश पर्णी
जो प्राप्त हुई

तलाश पर्णी
स्वीकार की गई

तलाश पर्णी
अस्वीकार कर
वापस भेजी गई

27831

25928

1864

39

2. ओपिनियन अनुभाग का कार्य विवरण :-

इस अनुभाग में अन्वेषण अधिकारियों द्वारा भेजे गये दस्तावेजों पर लगे विवादग्रस्त अंगुष्ठ निशानों की जांच की जाती है। इस अनुभाग द्वारा घटनास्थल पर प्राप्त चांस प्रिन्ट्स का मिलान इनमेट्रस एवं संदिग्ध व्यक्तियों के नमूना निशानों से किया जाता है। घटनास्थल पर प्राप्त

फुट प्रिन्ट का मिलान भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। अनुभाग में प्राप्त होने वाले केसेज का विवरण निम्न प्रकार है:-

01.01.2010 से 31.07.2011 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	467	अलोच्य अवधि में निस्तारित किये गये प्रकरणों की संख्या	450
3. एकल अंगुल चिन्ह अनुभाग का कार्य विवरण:-			

एकल अंगुल चिन्ह अनुभाग कोतवाली जयपुर में कार्यरत है। इस अनुभाग का मुख्य कार्य घटनास्थल का निरीक्षण कर चांस प्रिन्ट उठाना है। इन चांस प्रिन्ट का मिलान एकल अंगुल चिन्ह के रिकार्ड से तथा इनमेट्स एवं संदिग्ध व्यक्तियों के स्पेशीमेन प्रिन्ट से किया जाता है। अनुभाग द्वारा दिनांक 01.01.2010 से 31.07.2011 तक किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रकरणों की संख्या जिनमें घटनास्थलों का निरीक्षण किया गया	प्रकरणों की संख्या जिनमें चांस प्रिन्ट प्राप्त हुए	प्रकरणों की संख्या जिनमें चांस प्रिन्ट मिलान के काबिल नहीं पाये गये	सफल प्रकरणों की संख्या
247	84	11	2

4. फोटो अनुभाग का कार्य विवरण :-

राय देने हेतु जिन प्रिन्ट्स के विस्तृत फोटोग्राफ्स की आवश्यकता होती है, वे फोटोग्राफ्स इस अनुभाग द्वारा तैयार किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनुभाग द्वारा विभिन्न घटनास्थल का निरीक्षण कर चांस प्रिन्ट्स की फोटोग्राफी की जाती है तथा उनके फोटोग्राफ तैयार किये जाते हैं। इस अनुभाग के द्वारा दिनांक 01.01.2010 से 31.07.2011 तक किये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

घटनास्थल का निरीक्षण	दस्तावेज केसों का निस्तारण फोटोग्राफ्स की संख्या	अनुभाग द्वारा तैयार किये गये
183	419	5761

5. जनरल अनुभाग का कार्य विवरण :-

फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो के समस्त प्रशासनिक कार्यों का संचालन, आदेशों एवं निर्देशों की पालना करवाना, ब्यूरो के समस्त तकनीकी उपकरणों, सामान व सामग्री की खरीद फरोख्त की कार्यवाही सम्पादित करवाना, टाईप का समस्त कार्य कराना, रजिस्टर्स एवं पत्रावलियों का संधारण रिसीप्ट / डिस्पेच का समस्त कार्य, स्टाफ की उपस्थिति, अवकाश का संधारण, टी.ए. एवं मेडीकल बिलों के भुगतान संबंधी कार्य इस अनुभाग द्वारा किये जाते हैं।

6. AFIS (आटोमेटेड फिंगर प्रिन्ट आईडेन्टीफिकेशन सिस्टम)

फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत AFIS (आटोमेटेड फिंगर प्रिन्ट आईडेन्टीफिकेशन सिस्टम) फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो मुख्यालय जयपुर एवं 32 जिला मुख्यालयों पर स्थापित किया जा चुका है एवं प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक उप निरीक्षक फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट लगाया जाना है, वर्तमान में फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो मुख्यालय में ऐफिस पर रिकार्ड की डाटा

एन्ट्री का कार्य सुचारू रूप से संपादित किया जा रहा है तथा अभी तक कुल 1,32,108 रिकार्ड की डाटा एन्ट्री की जा चुकी है।

7. प्रशिक्षण :-

01.01.2010 से 31.07.2011 तक 165 पुलिसकर्मियों को फिंगर प्रिन्ट प्रोफिशेन्ट का प्रशिक्षण दिया गया।